बीआईएस ने मैसर्स लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी, रामलवास खुर्द, बालसमंद रोड, हिसार, हरियाणा पर प्रवर्तन छापा मारा

जगमार्ग न्यूज

चंडीगढ़। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), हरियाणा शाखा कार्यालय के अधिकारियों की एक टीम ने 10-07-2024 को मेसर्स श्री लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी, रामलवास खुर्द, बालसमंद रोड, हिसार, हरियाणा में प्रवर्तन छापा मारा। प्रवर्तन छापे के दौरान फर्म को वैध लाइसेंस के बिना पेवर ब्लॉकों पर बीआईएस मानक चिह्न का दुरुपयोग करते हुए पाया गया था। हरियाणा शाखा कार्यालय के प्रमुख रमेश के, ने कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के तहत अपराधियों के खिलाफ बीआईएस हरियाणा शाखा कार्यालय द्वारा कार्रवाई शुरू की जा रही है। यह अपराध बीआईएस अधिनियम की धारा 17 का उल्लंघन है और बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 29(3) के अनुसार पहली बार उल्लंघन के लिए 2 साल तक की कैद या कम से कम 2 लाख रुपये या माल के मूल्य से दस गुना का जुर्माना या दोनों से दंडनीय है । बीआईएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत अभियोजन सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। कई बार देखा गया है कि भारी मुनाफे के लिए नकली आईएसआई मार्क वाले उत्पाद बनाकर आम उपभोक्ताओं को बेचे जाते हैं।इसलिए, लोगों को खरीदारी से पहले बीआईएस वेबसाइट http://www.bis.gov.in पर

जाकर या बीआईएस-केयर ऐप के माध्यम से उत्पाद पर आईएसआई मार्क की वास्तविकता का पता लगाना चाहिए। इसलिए, आम जनता से अनुरोध है कि यदि उन्हें किसी उत्पाद पर आईएसआई मार्क के दुरुपयोग का कोई मामला मिलता है, तो इसकी सूचना प्रमुख, हरियाणा शाखा कार्यालय, बीआईएस, प्लॉट नंबर 4-ए, सेक्टर 27-बी, मध्य मार्ग, चंडीगढ़ 160019 को दी जा सकती है। ऐसी शिकायतें ईमेल पते mdchv@bis.gov.in या complaints@bis.gov.in पर या टेलीफोन नंबर 0172-2650290 पर भी की जा सकती हैं। ऐसी जानकारी का स्रोत गोपनीय रखा जाएगा।

चोरी करने व लोगों के

घनौर के निजी स्कूल में सरेआम